संख्या-4/2015 /254/74-2015-19(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग

लखनऊ:: दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" के वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रेशम निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-136/सेरी0/नजा0/वाहन0क्रय/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम एवं लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2320000 (रूपये तेईस लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 634417 (रूपया छः लाख चौतीस हजार चार सौ सत्रह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, एक मारूती सुजकी माडल डिजायर जेड0एक्स0आई0 पेट्रोल चलित वाहन क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(4) स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार के विचलन/दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम स्वंय जिम्मेदार/उत्तरदायी होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-254(1)/74-2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाईट पर लोड कर दें।
(10) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।